आशय

मनाकली किया हुआ वकील वादी मुहाजीर नहीं। बार-2 आह्वान लगाने के बाद भी न तो वकील वादी मुहाजीर आ रहा है न ही स्वयं वादी मुहाजीर। अतः वाद पत्र को अदम पैरवी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। मनाकली वाले केवल सुनार होकर नामकरण कर दो व दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:47:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner